हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2007

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एन.टी.(एस.जी.-पी.एन.पी.)/6/सी.ए./2007/1620.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार जिला पानीपत के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थातः

अनुसूची

जिला पानीपत में नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओ की अनुसूची को ड्राईंगं संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.)319 / 2007, दिनांक 15 जनवरी, 2007 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तरः बिन्दु 'ए', अर्थात् गाँव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 182 की उत्तरी सीमा तथा जिला पानीपत तथा जिला सोनीपत की जिला सीमा के मिलन बिन्दु से आरम्भ करते हुए पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 182, 183 तथा 184 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक, जो कि गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 184 का उत्तर—पूर्व कोना है, तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की और गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 207 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक, जो कि गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 207 का दक्षिण—पूर्व कोना है, तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 211 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 211 के उत्तरी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 211 के उत्तरी सीमा के साथ—साथ बिन्दु

पूर्व: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की आयत संख्या 211 तथा 219 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ई' अर्थात् उस बिन्दु तक जहां यह जिला पानीपत तथा जिला सोनीपत की जिला सीमा से मिलती है।

दक्षिण तथा पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'ई' से उत्तर-पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), जिला पानीपत की पश्चिम सीमा तथा जिला पानीपत तथा जिला सोनीपत की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification -

The 20th April, 2007

No. CCP (NCR)/NT(SG-PNP)/6/CA/2007/1620.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area in district Panipat as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundary of the controlled area in district Panipat to be read with drawing no. DTP(PN)319/2007, dated the 15th January, 2007.

North: Starting from point "A", i.e. the meeting point of the northern boundary of rectangle no. 182 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat with the district boundary of district Panipat and district Sonipat, towards east along northern boundary of rectangle no. 182, 183 and 184 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat up to point 'B' i.e. the north-east corner of rectangle no. 184 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat, thence moving from point 'B' towards south along eastern boundary of rectangle no. 184 and 207 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat, thence moving from point 'C' i.e. the south-east corner of rectangle no. 207 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat, thence moving from point 'C' towards east along northern boundary of rectangle no. 211 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat upto point 'D' i.e. north-east corner of rectangle no. 211 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat.

East: Thence moving from point "D" towards south along the eastern boundary of rectangle no. 211 and 219 of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat up to point 'E' i.e. the point where it meets with the district boundary of district Panipat and district Sonipat.

South and West: Thence moving from point "E" towards north-west along western boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91), district Panipat and district boundary of district Panipat and district Sonipat up to point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.